APP-A
Crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत........उपखण्ड अधिकारी........मुकाम........कोटा........

........इन्द्रा बाई........बनाम........राजस्व........

किस्म मुकदमा........L.R.Act-136........नं. ....107........सन्........2025........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/9/25	ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत मण्डाना में प्रार्थी इन्द्रा बाई पत्नि राधेश्याम की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मण्डाना पटवार हल्का मण्डाना में स्थित भूमि खाता संख्या 55 में प्रार्थी के हिस्से पर रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर दर्ज है। परन्तु वर्तमान में उक्त बैंक का नाम परिवर्तित होकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया हो चुका है। अतः खाता संख्या 55 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जावे। प्रार्थना पत्र के सम्बंध में तहसीलदार लाडपुरा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम मण्डाना पटवार हल्का मण्डाना में स्थित भूमि खाता संख्या 55 में रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय आज दिनांकः 20.09.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत मण्डाना में सुनाया गया। (Stamp: उपखण्ड अधिकारी कोटा) (गजेन्द्र सिंह) उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा	